न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 3432 / 2004 / जैसलमेर

1— श्रीमति अनोप कंवर पत्नि पोलसिंह

2— मगसिंह पुत्र श्री पोलसिंह

3— हडवन्तसिंह पुत्र पोलसिंह

4— श्रीमति कंवराबाई पुत्री पोलसिंह

सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम नाचना तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

....अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार।

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खजान सिंह, सदस्य

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः—

श्री योग्रन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी।

श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी ।

——

निर्णय

दिनांक 07—06—2022

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम की धारा 224 के अन्तर्गत अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील सं0 138 / 2001 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 26—05—2004 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं।

2— द्वितीय अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पिता मृतक पोलसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अधिनियम की धारा 15—एएए सपठित धारा 19 (1) (एए) के तहत उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना के समक्ष राज्य सरकार के विरूद्ध ग्राम नांचना में स्थित आराजी खसरा नं0 1825, 1891, 1894, 1818,

1835, 1844, 1868 एवं 2424 रकबा क्रमशः 21 बीघा 8 बिस्वा, 20 बीघा 13 बिस्वा, 29 बीघा 8 बिस्वा, 19 बीघा 3 बिस्वा, 54 बीघा 4 बिस्वा, 4 बीघा 18 बिस्वा, 26 बीघा 3 बिस्वा एवं 11 बीघा के पेश कर निवेदन किया कि वादी उक्त भूमि पर पीढी दर पीढी दिनांक 15–10–55 से पूर्व से काश्त करते चले आ रहे है तथा अपीलार्थी ने उक्त भूमि तत्कालीन जागीरदार से ली थी एवं जागीर के तहत जब तक जागीरदार की भूमि जप्त सरकार नहीं हुई तब उसे लगान अदा करता चला आ रहा है। आगे चलकर उक्त भूमि उपनिवेशन में आ जाने के कारण अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार धारा 15 के तहत नहीं दिए गए। सरकार ने धारा 15–एएए के तहत खातेदारी की छूट दिए जाने पर वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार उसे दिलाया जावें। उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी ने जवाब पेश किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभिकथनों के आधार पर 3 तनकियात कायम की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–10–97 द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह प्रथम अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–05–2004 खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस द्वितीय अपील पर सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत है। उनका तर्क था कि उपायुक्त उपनिवेशन ने अधिकारिता का दुरूपयोग करते हुए निर्णय व डिक्री प्रदान किया है। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थना पत्र व अपील को निरस्त करने का आधार केवल उसकी दूसरी खातेदारी की भूमि को मानकर किया है, जो कि अनुचित

है। अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर उसके खातेदारी अधिकार पूर्ण हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15–एएए पेश किया था। अपीलार्थी ने साक्ष्य से अपना कब्जा 15–10–55 से पूर्व का होना साबित किया है। अपीलार्थी की साक्ष्य 212 बीघा भूमि बाबत् नहीं थी बल्कि वर्तमान भूमि बाबत् थी। किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त साक्ष्य को नहीं मानने में त्रुटि की। उनका तर्क था कि तनकी सं0 1 का निर्णय परवर्स है एवं साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया है। तनकी सं0 2 जिस प्रकार कायम की गई, उसका निर्णय नहीं किया गया है। तनकी सं0 2 अपीलार्थी का वाद निरस्त करने के लिए महत्व नहीं रखती है। उनका तर्क था कि उपायुक्त उपनिवेशन को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 15–एएए के तहत हर निर्णित करना चाहिए था। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उनके द्वारा साक्ष्य का सही रूप से विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया गया है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त किए जावें।

5– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थीगण ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष इस प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की, जिससे यह स्पष्ट हो कि जिस विवादित भूमि के बाबत वे अनुतोष चाहते है वह भूमि उनके कब्जा काश्त में रही हो या बतौर टीनेंट कब्जा काश्त रहा हो। उनका यह भी तर्क था कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा घोषणात्मक व दुरस्ती रिकार्ड बाबत् दावा पेश नहीं किया गया मात्र धारा 15–एएए का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसमें भू प्रबंध की त्रुटि हो या घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त करना हो तो इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किए जाने का कोई उचित आधार नहीं है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

6— हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण / वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 15 एएए, 19 (1 एए) (2ए) का पेश कर निवेदन किया कि उनका विवादित आराजी पर पीढ़ी दर पीढ़ी दिनांक 15—10—55 से आदिनांक तक निरन्तर कब्जा रहा है व लगान भी वे अदा करते आ रहें है। उनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित था, जिसे उन्हें सुने बिना खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर दादरसी सहित तीन तनकियात कायम की।

8— दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी सं0 1 '' आया कि वाद में मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर पीढी दर पीढी निरन्तर दिनांक 15—10—55 से पूर्व से आज तक काबिज व काश्तकार है व उसका खातेदार टीनेंट हो गया है, पर निर्णय पारित करते हुए माना कि समरी के समय वादीगण का कब्जा दस खसरा के रकबा 212 बीघा 15 बिस्वा पर दर्ज है जो आज भी उनके कब्जे में गैर खातेदारी में दर्ज है और इस भूमि से संबंधित ही समस्त दस्तावेज वादी ने पेश किए है। विवादित आराजी से संबंधित कोई दस्तावेज वादी ने पेश नहीं किए है। ऐसी स्थिति में वादी का विवादित भूमि पर दिनांक 15—10—55 के पूर्व से कब्जा साबित नहीं होता है। तनकी सं0 2 को निर्णित करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने माना कि चूँकि तनकी सं0 1 के अनुसार वादी अपना कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से लगातार होना साबित करने में असमर्थ रहा है, ऐसी स्थिति में वादी खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है।

9— हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष अंकित करते हुए उचित व विधिसम्मत् निर्णय प्रदान किए है, क्योंकि वादी विवादित भूमि पर अपना कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से आदिनांक तक साबित करने में असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः द्वितीय अपील के स्तर पर दोनों

अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित निर्णयों में हस्तक्षेप किए जाने का कोई ठोस आधार हम नहीं पाते है।

10— उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26—05—2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(खजान सिंह)
सदस्य